to whether any child below the age of twelve years may be allowed to see such a film, the film shall be certified for unrestricted public exhibition with an endorsement to that effect.

(3) If the Board, having regard to the nature, content and theme of the film, is of the opinion that the exhibition of the film should be restricted to members of any profession of any class of persons, the film shall be certified for public exhibition restricted to the specialised audience ta be specified by the Board in this behalf.

6. The Board shall scnutinise the titles of the films carefully and ensure that they are not provocative, vulgar, offensive or violative of any of the above mentioned guidelines.

Foot Note:—Notification No. 5/5/77-FCO dated 7-1-78 published in the Extraordinary Gazette of India Part II Section 3 sub section (ii) dated 7-1-78 as S.O. 9(E)—Amended by— , ,

(i) Notification No. 5/5/77-F(C) dated 27-1-79 published as *S.O.* 618 in the Gazette, of India Part II Section 3 sub. section (ii) dated 17-2-79.

(ii) Notification No. 805/2/82-F(C) dated 7-5-83 published as S.O. 356(E) in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 sub-section (ii) dated 7-5-83.

(iii) Notification {No. 803/4/89-F(C) dated 11-8-89 published as S.O. 2179 in the Gazette of India Part II Section 3 sub. section (ii) dated 9-9-89.

(File No. 805/1/90-F(C))
Sd/-
(S. LAKSHMI NARAYANAN)
Joint Secretary to the Govt, of India
Tele : 38 38 57

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road, NEW DELHI.

Revised guidelines for certification of films

,475 SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of INFGR-jMATTON AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have recently announced revised guidelines for certification of films to make it more comprehensive;

(b) if so, the details of the guidelines issued in this regard; and

(c) to what extent the revised guidelines for certification of films would curb violence and sex in the films?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIIA VYAS): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Guidelines as statement is. enclosed. (Refer to the statement appended to USO No. 474)

(c) For dealing with sex and violence in films more effectively, these Guidelines stipulate that the Board while examining a film for certification, shall, *inter-alia,* ensure that:

(i) anti-social activities such as violence arc not glorified or justified;

(ii) pointless or avoidable scenes of violence primarily intended to provide entertainment and such scenes as may have the effect of desensitising or dehumanising people are not shown;

(iii) human sensibilities are not offended by vulgarity, obscenity or depravity.

State Governments have also been reques ted from time to time for stricter enforce ment of the provisions of the Cinemato graph Act, 1952 as the implementation Is the responsibility of these agencies.

आकाशवाणी की उर्दू-सेवा में सुधार

476. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की उर्दू-सेवा देश में अत्यन्त लोकप्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा में और सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या

प्रयास किए जा रहे हैं और उनके क्या परिणाम निकलने की उम्मीद है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी की उर्दू सेवा मूलत: पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के उर्दूभाषी श्रोताओं के लिए लक्षित विदेश सेवा है । यह सेवा देश के उन भागों में भी लोकप्रिय है, जहां इसे सुना जा सकता है ।

(ख) लक्षित श्रोताओं में इसकी लोकप्रियता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार करने के वास्ते निरंतर प्रयास किए जाते हैं । सेवा में सुधार करने के लिए हाल में जो कुछ उपाय किए गए हैं उनमें दो कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं । समूचे उप महाद्वीप में समाचार पत्र सुरखियों पर आधारित कार्यक्रम "बाजगमत" और प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम "खुशबू-ए-चमन" ।

एफ० एम० बैंड की सुविधा में सुधार

477. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध एफ० एम० बैंड सुविधा सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सेवा में और सुधार/विस्तार के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं; और

(ग) किन-किन विदेशी रेडियो स्टेशनों से इस प्रकार की सेवा भारत में किस-किस मीटर पर सुनी जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश के 39 आकाशवाणी केन्द्रों से एफ०एम० प्रसारण होते हैं, जिनके नाम विवरण में दिये गये हैं । **(नीचे देखिये)**

(ख) एफ० एम० सेवा का विस्तार करने के लिए एफ० एम० स्टेशनों/चेनलों की 86 स्कीमों पर कार्य चल रहा है ।

(ग) प्रसारण की अपनी मूल प्रकृति के अनुसार एफ० एम० सिग्नल अधिक दूर तक नहीं जाते हैं और उनका कवरेज रेंज दृष्टि की सीध तक सीमित होता है । बंगलादेश में राजशाही (103.0 मेगाहार्ट), खुलना (106.5 मेगाहार्ट), सिल्हट (101.5 मेगाहार्ट), रंगपुर (105.5 मेगाहाट) एफ० एम० रेडियो स्टेशन और पाकिस्तान में मरी (107.5 मेगाहार्ट), कयूर (100 मेगाहर्ट), लाहौर (105.5, 106, 102 और 104 मेगाहार्ट) के एफ० एम० रेडियो स्टेशन भारतीय सीमा के बिल्कुल निकट हैं । इन ट्रांसमीटरों का कवरेज क्षेत्र अपने संबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों और भारत में बहुत सीमित है और इनके कार्यक्रम कुछ ही स्थानों पर सुने जा सकते हैं ।

विवरण

आकाशवाणी के वर्तमान एफ० एम० प्रसारण स्टेशनों की सूची

क्र० सं०	स्थान	राज्य
1.	कोट्टायम	
2.	तिरुपति	
3.	वारंगल	
4.	निजामाबाद	आन्ध्र प्रदेश
5.	अनन्तपुर	
6.	हैदराबाद (विविध भारती)	
7.	जोरहाट	आसाम
8.	सासाराम	बिहार
9.	पटना	बिहार
10.	सूरत	गुजरात
11.	गोदरा	
12.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
13.	कथुआ	जम्मू और कश्मीर
14.	हासन	कर्नाटक
15.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक
16.	कनन्नौर	केरल
17.	कोचीन	केरल
18.	शिवपुरी	
19.	छिन्दवाडा	